संख्या : 26/2015/513/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2015**

विषय :नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 में वर्ष 2014-15 में वायुयान / हेलीकॉप्टर क्रय की मद में अवशेष धनराशि को पी0एल0ए0 में जमा किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1292/ना0उ0/2015 दिनांक 31 मार्च, 2015 के संदर्भ में और शासनादेश संख्या-24/2015/471/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग की अनुदान संख्या-38 में वर्ष 2014-15 के लिए वायुयान/हेलीकॉप्टर क्रय की मद में कराये गये बजट प्रावधान में से अवशेष धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 को निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-123 में जमा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- निदेशक, नागरिक उड्डयन के उक्त पत्र दिनांक 31 मार्च, 2015 में किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि रूपये 39,92,75,000-00 (रूपये उनतालिस करोड़ बान्नबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) को निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0 के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-123 में जमा किये जाने के स्थान पर उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ के पी0एल0ए0 खाता संख्या- 8443-001 में जमा किये जाने की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि यदि पी0एल0ए0 खाते में जमा की जाने वाली धनराशि पर निगम द्वारा कोई ब्याज अर्जित किया जाता है तो, उसे निदेशक, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से यथानियम राजकीय कोषागार में जमा किया जायेगा।

3- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। शासनादेश संख्या 24/2015/471/छप्पन-15-94/2013 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2015 को उपर्युक्त प्रस्तर-2 में प्रदत्त स्वीकृति की सीमा तक संशोधित समझा जायेगा और उक्त शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2015 के शेष प्रावधान, शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-7-343/दस-2015, दिनांक 31 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 - 26/2015/513(1)/छप्पन-15-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
5- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उ0प्र0, लखनऊ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0, पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
7- राज्य योजना आयोग अनुभाग-1 / नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।